भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 202

सोमवार, 18 नवम्बर, 2019/27 कार्तिक, 1941 (शक)

प्रधान मंत्री श्रम योगी योजना के तहत पंजीकरण

202. श्री रवि किशन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा प्रधान मंत्री श्रम योगी योजना के तहत कुछ पंजीकरण किए गए हैं और यदि हां, तो पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा किए गए पंजीकरण की संख्या कितनी है; और

(ग) उक्त योजना को आगे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): 14 नवम्बर, 2019 तक प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएम-एसवाईएम) के अंतर्गत कुल 32,98,424 पंजीकरण किए गए हैं।

(ख): पीएमएसवाईएम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में 14 नवम्बर, 2019 तक 5,36,490 पंजीकरण किए गए हैं।

(ग): इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत 3.50 लाख कॉमन सेवा केंद्रों के देश-व्यापी नेटवर्क के माध्यम से पंजीकरण किए जा रहे हैं। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए सुविधा उपलब्ध कराई गई हैं। मासिक अंशदान की कटौती ऑटो-डेबिट सुविधा के माध्यम से की जा रही है। सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से योजना को लोकप्रिय बनाने और अधिक जागरूकता लाने के लिए अनुरोध किया गया है। मिशन मोड के अंतर्गत पहल करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के साथ विभिन्न स्तरों पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग की गई हैं।

******